COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED

(190)

-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 (कैम्प जबलपुर)

पुनरीक्षण प्र0क्र0 :- /2011 R-2046-I/2011

श्री अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार सुबोध नायक 03 NOV 2011 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षणकर्ता :- जगदीश पिता कालीराम, आयु 61 साल, निवासी- मुकाम पोस्ट आलीवाड़ा, तह० उदयपुरा, जिला रायसेन (म0प्र0)

विरुद्ध

उत्तरवादी :- 1. ओमप्रकाश पिता कालीराम,
2. कालीराम पिता रामदयाल,
निवासी- ग्राम पिपरिया तहसील करेली,
जिला-नरसिंहपुर म0प्र0

(130)

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त पुनरीक्षण माननीय न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 के प्र0क्र0 द्वितीय अपील 248/अ-27/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 4.8.2011 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है :-

S K KHARE Surendra Kumar Khare Oath Commissioner JBP.

पुनरीक्षण के तथ्य

(1) यह कि, पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 गाडरवारा के समक्ष एक वाद भूमि के बंटवारे के संबंध में प्रस्तुत किया गया था, जिसका कि क्रमांक 104-अ/95 है। उक्त कृषि भूमि जो कि पुनरीक्षणकर्ता एवं अनावेदक/उत्तरार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि है, जो मौजा डोंगरगांव न.बं. 196 प.ह.नं. 87/63, ख.नं. 50/76/1, 146/1, 142, 143, 144, 148, कुल रकवा 4.270 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि कहा गया है) के बंटवारे के संबंध में माननीय न्यायालय गाडरवारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3 NOV 2011

(2) यह कि, दिनांक 19.2.98 को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गाडरवारा के न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक का उक्त दावा स्वीकार करते हुये पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक एवं अनावेदक/उत्तरार्थी के मध्य 1/3, 1/3 एवं 1/3 भूमि का बंटवारा स्वीकार समझौते के आधार पर स्वीकार करते हुए पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के पक्ष में आज्ञाप्ति/ डिक्री पारित की गई थी।

..2

XXVIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 2046–एक/11 जिला नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–5–16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 16–11–12 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	